(16) (16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/3787 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.08.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 794/अपील/15-16.

टेलीफोन ऑपरेटर्स को-ऑपरेटिव सोसायटी
मर्यादित, भोपाल द्वारा अध्यक्ष एस.आर.खान
आत्मज स्व. श्री एच.आर. खान,
निवासी कॉटेज नंबर 02, अहमदाबाद पैलेस रोड,
कोहेफिजा, भोपाल, म.प्र.

.....आवेदक

विरूद्ध

मोहम्मद शफीक पुत्र श्री अब्दुल रहीम
निवासी सूफिया मस्जिद, शफीक कैम्पस,
अहमदाबाद पैलेस, भोपाल, म.प्र.

.....अनावेदक

श्री मुजद्दीद हसन, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 31.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक ने नायब तहसीलदार, हुजूर के समक्ष ग्राम लाउखेड़ी तहसील हुजूर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 42/1 रकबा 0.403 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक 42/1/2 रकबा 0.138 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक 43/1 रकबा 0.672 हैक्टेयर कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर

के सीमांकन दिनांक 10.06.2015 के आधार पर रकबा 0.067 हैक्टेयर पर अवैध कब्जा बताते हुए संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अ-70/2015-16 दर्ज कर दिनांक 04.03.2016 को आवेदन स्वीकार कर आदेश पारित किया गया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बैरागढ़ वृत्त के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25.07.2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31.08.2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25.07.2016 निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदक संस्था पूर्ण रूप से विधिवत प्रश्नाधीन भूमियों का स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी है। राजस्व अभिलेखों में भी विधिवत नामांतरण, नामांतरण, पंजी क्रमांक-62 एवं 63 आदेश दिनांक 23.04.1992 द्वारा प्रविष्टि प्रमाणित की गई है। उक्त राजस्व प्रविष्टियों को अनावेदक द्वारा किसी भी अपर न्यायालय में आक्षेपित नहीं किया गया है अर्थात् उक्त नामांतरण आदेश पूर्ण रूप से प्रभावी होकर प्रित अनावेदक पर बंधनकारी है।

(2) विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2009 को आवेदक संस्था की भूमि का नक्शे में कब्जा अनुसार अक्स बटान स्वीकृत किया गया, जो कि पूर्ण रूप से विधिवत है, जिसको अनावेदक द्वारा किसी भी वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है अर्थात् उक्त बटान आदेश अनावेदक पर बंधनकारी है।

(3) पंचनामे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि क्षेत्रफल 0.067 पर श्री शफीक का कब्जा पाया गया, जिससे संस्था की भूमि के अंश भाग क्षेत्रफल 0.067 पर मोहम्मद शफीक द्वारा अवैधानिक रूप से कब्जा किये हुए थे, इसकी जानकारी सीमांकन से आवेदक संस्था को ज्ञात हुई। तत्पश्चात् संस्था के द्वारा अनावेदक को उक्त कब्जा हटाये जाने की समझाईश दी गई।

(4) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में आवेदक संस्था के द्वारा बटान प्रकरण एवं सीमांकन प्रकरण को चुनौती दी गई, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा

उभयपक्षों को सुनवाई का युक्ति-युक्त समुचित अवसर प्रदान किया जाकर दिनांक 25.07.2016 को आदेश पारित कर अनावेदक की अपील निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 04.03.2016 को स्थिर रखा गया, जो कि पूर्ण रूप से विधिवत है। इस संबंध में 1983 रा.नि. 311 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(5) द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं अधीनस्थ विचारण न्यायालय का रिकॉर्ड आहूत किये बिना ही विधि विरूद्ध रूप से अधिकारिता से बाहर जाते हुए उक्त विरोधित आदेश दिनांक 31.08.2017 पारित किया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाये तो पारित आदेश के निष्कर्ष के चरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा सीमांकन आदेश के संबंध में व्याख्या की गई है तथा सीमांकन आदेश को ही विधि अनुरूप नहीं माना गया है। यहां द्वितीय अपीलीय न्यायालय से वैधानिक चूक हुई है कि सीमांकन आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण राजस्व मण्डल के समक्ष सुनवाई का क्षेत्राधिकार है, सीमांकन के संबंध में अपील प्रचलन योग्य नहीं है।

उक्त तर्कों के समर्थन में 2010 आर.एन. 232, 1983 आर.एन. 311, 2005 आर.एन. 178, 1997 आर.एन. 92, 1978 आर.एन. 393 एवं 2010 आर.एन. 215 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) प्रथम अपील प्रकरण की कार्यवाही एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लिखित आदेश पत्रिका से एवं पारित आदेश से यह स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार से बढ़कर ही पूर्वाग्रसित थी, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी दिनांक 11.07.2016 को अनावेदक के अधिवक्ता से हस्ताक्षर करवाकर दिनांक 25.07.2010 पेशी नोटेडफाफर करने के लिए कहा गया तथा अनावेदक के अधिवक्ता से कहा कि मैं अभी शासकीय कार्य में व्यस्त हूँ बाद में आदेश पत्रिका लिखवा दूंगी, जिस पर आवेदक के अधिवक्ता के हस्ताक्षर थे, जिसके नीचे

दिनांक 11.07.2016 दिनांक डाली गई थी, लेकिन नोटेडफॉर आवेदक संस्था के अधिवक्ता ने नहीं किया था केवल आवेदक अधिवक्ता ने दिनांक 25.07.2016 नोटेड किया था।

(2) यदि धारा 250 के अंतर्गत सीमांकन के आधार पर प्रकरण बेदखली हेतु प्रस्तुत किया है तो सीमांकन की वैधता की जांचना विधिक अनिवार्यता होती है, जो आज्ञापक भी है अन्यथा धारा 250 के अंतर्गत की गई कार्यवाही व्यर्थ व उसके आधार पर पारित आदेश शून्यवत होते हैं। इस संबंध में 1993 आर.एन. 363, 1980 आर.एन. 244 एवं 1975 आर.एन. 159 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं। तहसीलदार ने सीमांकन को प्रमाणित करने का अनावेदक को अवसर प्रदान नहीं किया था, ऐसा आदेश अनियमिततापूर्ण था लेकिन अनुविभागीय अधिकारी ने ऐसे आदेश को यथावत् रख वैधानिक भूल की थी, जिसे अपर आयुक्त ने निरस्त कर विधिक आदेश पारित किया है।

(3) अनावेदक ने कई बार अपने भूमि खसरा क्र. 42/1/1/छ रकबा 0.232 के बटान हेतु आवेदन दिया, लेकिन आज तक तहसीलदार ने आवेदक संस्था के दबाब के कारण बटान स्वीकृत नहीं किया, जबकि मौके पर अनावेदक के स्वत्व की भूमि होकर उसके क्रय दिनांक से ही चली आ रही है।

(4) जैसा कि अनावेदक ने खसरा नकल प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक संस्था के नाम पर 0.34 एकड़ भूमि से ज्यादा दर्ज है, जिसका अनुचित लाभ लेकर आवेदक ने अनावेदक की भूमि को अपना बताकर सीमांकन में अनावेदक के स्वयं की भूमि पर अवैध कब्जा बता दिया है, लेकिन तहसीलदार ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार न कर कथित रूप से अवैध कब्जा हटाने के आदेश पारित किये थे, जिसको अनुविभागीय अधिकारी ने यथावत् रखकर आवेदक को अवैध लाभ पहुँचाया था। ऐसे सीमांकन कार्यवाही व बेदखली के आदेशों को समाप्त कर अपर आयुक्त ने न्यायिक प्रक्रिया का हनन होने से रोक है, जिससे अपर आयुक्त का आदेश विधि की दृष्टि में व न्याय की दृष्टि में विधिसम्मत है, जो यथावत् रखने योग्य है।

(5) यदि अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप किया जाता है तो आवेदक राजस्व अभिलेखों में अनाधिकृत ज्यादा दर्ज भूमि का अनुचित लाभ लेकर अनावेदक की उसकी भूमि से बेदखल कर देंगे तथा तहसीलदार आवेदक संस्था के इतने अधिक दबाब में हैं कि वह जो भूमि राजस्व खसरों में 0.34 एकड़ आवेदक संस्था के नाम स्वत्व से अधिक दर्ज है, उसका

अभिलेख भी दुरूस्त नहीं कर रहे है, जिसका उद्देश्य आवेदक संस्था को अनुचित एवं अवैध लाभ पहुँचाना है।

अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक ने विधिवत बटान के बाद सीमांकन कराया है । गुण-दोष पर सीमांकन में क्या त्रुटि थी, इस पर अपर आयुक्त ने कोई प्रकाश नहीं डाला है । अनावेदक द्वारा सीमांकन कार्यवाही को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी है । सीमांकन कार्यवाही में अनावेदक के पुत्र के हस्ताक्षर नहीं हैं, इसकी पुष्टि में अनावेदक ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और न ही उसने अपनी भूमि का सीमांकन कराकर प्रस्तुत किया है । आवेदक के पास अधिक भूमि होने का नया बिन्दु अनावेदक ने निगरानी के स्तर पर उठाया है, अत: उसके संबंध में अनावेदक नियमानुसार पृथक से कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है । अपर आयुक्त द्वारा बिना समुचित आधार के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में त्रुटि की है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2017 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर